



Neutral Citation No. - 2026:AHC:51029

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट - बी संख्या - 1019 वर्ष 2026

राज कुमार और एक अन्य

.....याची(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और 6 अन्य

.....प्रत्यर्थी(गण)

याची(गण) के अधिवक्ता : दान बहादुर यादव, उमेश चंद्र विश्वकर्मा

प्रत्यर्थी(गण) के अधिवक्ता : भूपेंद्र कुमार त्रिपाठी, स्थायी अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 54

माननीय न्यायमूर्ति दिनेश पाठक

1. पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना।
2. वर्तमान रिट याचिका, अन्य बातों के साथ-साथ, निम्नलिखित अनुतोष की मांग करते हुए दाखिल की गई है:-

"(i) परमादेश की प्रकृति में एक रिट, आदेश या निदेश जारी किया जाए जिसमें प्रत्यर्थी संख्या 2 को उसके समक्ष लंबित पुनर्स्थापन प्रार्थना पत्र संख्या 758 दिनांक 04.01.2023 (अनुलग्नक संख्या 5) को एक निर्धारित समयावधि के भीतर निर्णीत करने का समादेश दिया जाए।"
3. विद्वान स्थायी अधिवक्ता को कोई आपत्ति नहीं है, यदि पूर्वोक्त मामले को शीघ्रता से निर्णीत करने का निदेश जारी किया जाता है।
4. उपरोक्त परिप्रेक्ष्य में, इस मामले को लंबित रखने से कोई उपयोगी उद्देश्य पूर्ण नहीं होगा। इसलिए, यह न्यायालय रिट याचिका में उठाए गए मामले के गुणागुण पर कोई टिप्पणी/मत

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



व्यक्त किए बिना, वर्तमान रिट याचिका को प्रत्यर्थी संख्या 2 को यह निदेश देते हुए अंतिम रूप से निस्तारित करना उचित समझता है कि वह संबंधित पक्षकारों को सुनवाई का अवसर प्रदान करने के पश्चात और किसी भी पक्षकार को कोई अनावश्यक स्थगन प्रदान किए बिना, कड़ाई से विधि के अनुसार, एक सकारण और सवाक् आदेश (reasoned and speaking order) के माध्यम से पूर्वोक्त मामले को शीघ्रता से, अधिमानतः इस आदेश की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत करने की तिथि से दस माह की अवधि के भीतर निर्णीत करे।

5. पूर्वोक्त निदेश के साथ, यह याचिका अंतिम रूप से निस्तारित की जाती है।

(दिनेश पाठक, न्यायमूर्ति)

मार्च 12, 2026

वीकेजी

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।